भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4695
दिनांक 20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी अवसंरचना

4695. **श्री प्रद्युत बोरदोलोईः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, पोषण, आरोग्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता का संवर्धन करने वाले प्रचलनों को विकसित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए एक समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की स्थिति क्या है और अब तक प्राप्त परिणाम क्या हैं;

(ख) वर्तमान में जारी पोषण कार्यक्रम में कमियों और खामियों को दूर करने, कार्यान्वयन में सुधार करने और पोषण एवं बाल विकास परिणामों में तीव्रता लाने के लिए पोषण 2.0 के अंतर्गत विद्यमान घटकों का पुनर्गठन और सुव्यवस्थीकरण क्या है, साथ ही उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए किए गए विशिष्ट उपाय क्या हैं;

(ग) राज्यवार आंगनवाड़ी अवसंरचना की स्थिति क्या है, साथ ही आधुनिक और उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, भवन, पेयजल, स्वच्छता, बिजली और डिजिटल अवसंरचना जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष केंद्रों के उन्नयन की समय-सीमा क्या है और इसके लिए राज्य-वार आवंटित निधि कितनी है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): पोषण केवल भोजन करने तक सीमित नहीं है, इसके लिए पोषक तत्वों का उचित पाचन, अवशोषण और चयापचय (मेटाबोलिज्म) की आवश्यकता होती है । यह प्रक्रिया स्वच्छता, शिक्षा तथा स्वच्छ पेयजल की सुलभता जैसे कारकों से प्रभावित होती है। चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, शिक्षा इत्यादि सहित बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का मिलकर प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के परस्पर तालमेल से कुपोषण की चुनौती का समाधान किया जा रहा है। इन मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से, सितंबर और मार्च-अप्रैल में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान चलाना है ताकि लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित किया जा सके, क्योंकि पोषण की अच्छी आदतें अपनाने हेतु व्यवहार में बदलाव लाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। देश भर में 15 जन आंदोलनों के माध्यम से वर्ष 2018 से अब तक 150 करोड़ से अधिक जन आंदोलन गतिविधियाँ आयोजित की जा चुकी हैं। इसके अलावा, सामुदायिक आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी आदतों में बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति साबित हुए हैं। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रति माह दो सीबीई आयोजित करना अनिवार्य है। वर्ष 2018 से फरवरी 2026 तक कुल 9.8 करोड़ सीबीई आयोजित किए जा चुके हैं।

मिशन पोषण 2.0 में आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजनाएं शामिल की गई हैं, ताकि पोषण और बाल विकास में सुधार को सुदृढ़ किया जा सके और उसमें तीव्रता लाई जा सके। यह केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसे देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्र भी शामिल है, में कार्यान्वित किया जा रहा है। मिशन की विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। इस मिशन के लाभार्थियों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोरियां (पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा आकांक्षी जिलों के 14-18 वर्ष की आयु की) शामिल हैं।

आंगनवाड़ी केंद्रों में भवन, पेयजल और स्वच्छता जैसी सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे की स्थिति पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन के सार्वजनिक डैशबोर्ड https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को पोषण ट्रैकर डिजिटल एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं।

पांच वर्षों के लिए 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है। स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और आवंटित धनराशि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

अनुलग्नक

उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और आवंटित धनराशि का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (फरवरी 2026 तक)।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन्नयन के लिए स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या	अब तक कुल आवंटित निधि (लाख रुपये में)
1	नागालैंड	149	134.1
2	मणिपुर	30	27
3	लद्दाख	14	14
4	चंडीगढ़	69	69
5	सिक्किम	435	391.5
6	अरुणाचल प्रदेश	152	136.8
7	आंध्र प्रदेश	9958	5974.8
8	असम	5407	4866.3
9	मिजोरम	1600	1440
10	मेघालय	121	108.9
11	कर्नाटक	17732	10639.2
12	त्रिपुरा	474	426.6
13	महाराष्ट्र	14,745	8847
14	गोवा	24	14.4
15	जम्मू और कश्मीर	338	304.2
16	अंडमान और निकोबार	140	140
17	लक्षद्वीप	18	18
18	उत्तर प्रदेश	23697	14218.2
19	तमिलनाडु	11972	7183.2
20	पुदुच्चेरी	135	81
21	केरल	4152	2491
22	उत्तराखंड	827	744.3
23	छत्तीसगढ़	11490	6894
24	पश्चिम बंगाल	5359	3215.4
25	मध्य प्रदेश	24662	14797

26	ओडिशा	12140	7284
27	बिहार	11529	6917.4
28	तेलंगाना	5008	3004.8
29	गुजरात	13147	7888.2
30	राजस्थान	3514	2108.4
31	झारखंड	16775	10065
32	हिमाचल प्रदेश	1030	927.00
33	पंजाब	353	211.8
34	हरियाणा	2804	1682.4